न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राजस्थान
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
119 / 2023	20 / 07 / 2023	28 / 07 / 2025

1. प्रहलाद पुत्र रामधन जाति जोगी निवासी ग्राम मंहगी तहसील आंधी जिला जयपुर।
2. सीताराम पुत्र भगवान जाति जोगी निवासी ग्राम मंहगी तहसील आंधी जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. रामखिलाडी पुत्र फूलानाथ जाति जोगी निवासी ग्राम मंहगी तहसील आंधी जयपुर।
2. कन्हैयालाल पुत्र फूलानाथ जाति जोगी निवासी ग्राम मंहगी तहसील आंधी जयपुर।
3. कालूराम पुत्र फूलानाथ जाति जोगी निवासी ग्राम मंहगी तहसील आंधी जयपुर।
4. पप्पू पुत्र फूलानाथ जाति जोगी निवासी ग्राम मंहगी तहसील आंधी जयपुर।
5. लालाराम पुत्र फूलानाथ जाति जोगी निवासी ग्राम मंहगी तहसील आंधी जयपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आंधी, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभावक
श्री रामकरण शर्मा :– वकील प्रार्थी।
श्री किशनलाल :– वकील अप्रार्थीगण।

प्रार्थना पत्र बाबत नक्शा दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 131, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

–: निर्णय :–

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाकै ग्राम कूदा पटवार हल्का मंहगी तहसील आंधी में स्थित कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 38 रकबा 0.8000है0 जिसके गत खसरा नम्बर 14 भूमि है जो प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी आराजियात है जिस पर कॉमन काज ऑफ एक्शन आराईज होने से प्रार्थीगण की ओर से यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। अन्य सहखातेदारों के अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव नही है उन्हे प्रकरण में अप्रार्थीगण संयोजित किया गया है। उक्त भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि है जो पूर्व से ही तरमीम शुदा रही है तथा जिस पर प्रार्थीगण काबिज काश्त चही आ रही है। हाल खसरा नम्बर 38 के गत खसरा नम्बर 14 रहे है जिसकी राजस्व नक्शें में भी तरमीम रही है। प्रार्थीगण की संयुकत आराजियात के उत्तर दिशा की ओर अप्रार्थी का खसरा नम्बर 36 स्थित है जिसके गत खसरा नम्बर 13 मीन राजस्व नक्शें में दर्ज रहे है तथा पूर्व दिशा में हाल खसरा नम्बर 56 स्थित है जो भी पूर्व से ही तरमीम शुदा रहे है जो सरकारी भूमि है हाल नक्शें में उक्त सरकार भूमि व अप्रार्थीगण की खसरा नम्बर 36 की नक्शा तरमीम को खसरा नम्बर 38 मे सम्मिलित कर दिया ओर सरकारी भूमि मे कोई रास्ता नही होने पर भी गलत नक्शा तरमीम का फायदा उठाकर अप्रार्थीगण 1 ता 5 जबरन प्रार्थी की भूमि में खसरा नम्बर 56 की आड में रास्ता निकालने पर आमादा है जिसका उनको कोई अधिकार नही है ओर प्रार्थीगण की भूमि का नक्शा जमाबन्दी के रकबे से कम नक्शा तरमीम कर दिया जिस गलत नक्शें को दुरूस्त किया जावें। गलत नक्शें के आधार पर अप्रार्थी सं0 1 ता 6 सरकारी भूमि खसरा नम्बर 56 को रास्ते की भूमि मानकर व खसरा नम्बर 36 की भूमि में गलत नक्शें से खसरा नम्बर 38 की भूमि को अपनी भूमि मानते हुये उस पर निर्माण कर रहे है एवं गलत नक्शा तरमीम के आधार पर खसरा नम्बर 56 मे होकर रास्ता निकालकर प्रार्थीगण की खातेदारी से बेदखल करना चाहते है। जिसका उन्हे कतई अधिकार नही है। मौके पर प्रार्थीगण का पूर्व तरमीम अनुसार कब्जे मे होकर अप्रार्थीगण सरकारी भूमि पर भी निर्माण करना चाहते है ओर प्रार्थीगण को उनके अधिकारों से वंचित करना चाहते है। कानूनन सरकारी भूमि पर किसी का निर्माण करने का अधिकार नही है इसलिये अप्रार्थीगण को प्रतिबंधित किया जावें कि खसरा नम्बर 56, 36 मे गलत नक्शा के आधार पर खसरा नम्बर 38 में किसी भी प्रकार का निर्माण नही करें व रास्ता नही निकाले व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अतः प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि गत खसरा नम्बर 14 के हाल खसरा नम्बर 38 हाल खसरा नम्बर 36 व 56 की नक्शा दुरूस्ती पूर्व नक्शा तरमीम अनुसार हाल नक्शा मे कायम करवाये जाने के आदेश फरमावें।

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को तलबी जारी की गई। अप्रार्थी सं0 1 लगायत 5 की ओर से एडवोकेट श्री किशनलाल ने उपस्थित होकर वकालतनामा व जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। वकील अप्रार्थी सं0 1 लगायत 5 ने अपने जवाब में निवेदन किया कि उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित खसरा नम्बर 38 रकबा 0.0800है0 ग्राम कुदा मे स्थित भूमि जोकि वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार कुल 17 खातेदारों के नाम दर्ज है। जिसे ना तो प्रार्थी पक्ष में और ना ही अप्रार्थीगण पक्षकारों मे संयोजित किया गया तथा अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 36 के कुल 7 खातेदार हैं। जिसमें से सन्तों पुत्र फूलानाथ को पक्षकार नही बनाया गया है जिसके विरूद्व बिना सुनवाई का अवसर दिये ही निर्णय ही किया जा सकता है। इस आधार पर प्रार्थना पत्र विधि विरूद्व होने से खारिज किया जाने योग्य है। अप्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 36 रकबा 4.8900है0 प्रार्थना पत्र के मद सं0 2 में अंकित कथन कि खसरा नम्बर 38 में खसरा नम्बर 36 को शामिल कर दिया गलत है। वास्तविक यह कि खसरा नम्बर 56 राजकीय भूमि है व खसरा नम्बर 58 जो कि गै0मु0रास्ता है। उसकी तरमीम में सीमा की लाईन हट गयी है। जोकि प्रार्थीगण का खसरा नम्बर 38 का नक्शा गलत नही है। अप्रार्थीगणों के खसरा नम्बर 35, 36 का रकबा नक्शें में जमाबन्दी के मुताबिक सही है। जिससे छेडछाड किया जाना उचित नही है ओर खसरा नम्बर 58 रास्ता से अतिक्रमण हटवाया जाने के आदेश दिया जावें। अतः खसरा नम्बर 38 व खसरा नम्बर 36 के सभी खातेदारों को पक्षकार नही बनाने से तथा प्रार्थीगणों का खसरा नम्बर 38 का नक्शा सही होने बावजूद यह कहना कि खसरा नम्बर 38 में खसरा नम्बर 36 को शामिल कर दिया गलत है। वास्तविक यह कि खसरा नम्बर 56 राजकीय भूमि है व खसरा नम्बर 58 जो कि गै0मु0रास्ता हैं उसकी तरमीम मे सीमा की लाईन हट गयी है। जबकि प्रार्थीगण का खसरा नम्बर 38 का नक्शा गलत नही है। इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र दुरूस्तनीय नही होने से खारिज किया जावें।

अप्रार्थी सं0 6 (पैरोकार सरकार) ने अपना जवाब अपने पत्र कमांक/आरटी/2025/283 दिनांक 25.04.2025 द्वारा पेश कर निवेदन किया कि ग्राम कुदा के खसरा नम्बर 36 प्रार्थीगण प्रहलाद पुत्र रामधन, सीताराम पुत्र भगवान जाति जोगी किस्म चाही 3 रकबा 0.80है0 भूमि राजस्व रिकार्ड दर्ज है। जबकि खसरा नम्बर 38 किस्म चाही 3 रकबा 4.89है0 अप्रार्थीगण रामखिलाडी पुत्र फूलानाथ वगै0 जाति जोगी के नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज है। खसरा नम्बर 36 पर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। जिस पर वह वर्षो से काबिज है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 36 से उत्तर दिशा में खसरा नम्बर 38 अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि व पूर्व दिशा की ओर खसरा नम्बर 56 किस्म बंजड रकबा 1.27है0 राजकीय भूमि स्थित है। जिसमें अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 38 मे आने जाने हेतु मौके पर पगडंडीनुमा लगभग 4 फीट चौडा रास्ता है। खसरा नम्बर 36 व 38 की तरमीम में नक्शानुसार कोई अन्तर प्रतीत नही होता है। जबकि खसरा नम्बर 56 की तरमीम में अंतर प्रतीत होता है। खसरा नम्बर 56 अपने लगवा खसरा नम्बर 58 किस्म गै0मु0रास्ता रकबा 0.25है0 में सम्मिलित हो गई है। पूर्व नक्शें में खसरा नम्बर 56 व 58 के मध्य एक डॉटेड लाईन थी जो कि वन टू वन मैपिंग में पुख्ता हो गई। डॉटेड लाईन के पुख्ता होने की वजह से खसरा नम्बर 56 का रकबा नक्शें मे हट गया तथा खसरा नम्बर 58 का रकबा नक्शें में बढ गया है। चुकी खसरा नम्बर 36 व 38 की तरमीम में पूर्व नक्शें अनुसार कोई अन्तर प्रतीत नही होता है। इसलिए दुरूस्ती किया जाना संभव नही है। संलग्न नक्शानुसार खसरा नम्बर 56 जिसे हरे रंग से प्रदर्शित किया है तथा खसरा नम्बर 58 जिसे लाल रंग से प्रदर्शित किया गया है। दुरूस्त किया जाना उचित होगा। अतः खसरा नम्बर 36 व 38 की तरमीम में पूर्व नक्शानुसार कोई अन्तर प्रतीत नही होता है जबकि खसरा नम्बर 56 व 58 की तरमीम को संलग्न नक्शानुसार दुरूस्त किया जाा उचित होगा।

बहस वकील उभय पक्षों एवं पैरोकार सरकार सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र व पैरोकार सरकार के जबाब एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार आंधी को आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम कूदा, पटवार हल्का मंहगी, तहसील आंधी, जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 56 व 58 की तरमीम को तहसीलदार रिपोर्ट के संलग्न नक्शानुसार दुरूस्त कर वर्तमान राजस्व नक्शें मे तरमीम दुरूस्त किया जावें।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 28.07.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

Scanned with OKEN Scanner